

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एस0 ए0 संख्या-05/2018

बिगन नायक

..... अपीलकर्ता

बनाम्

बिमला देवी एवं अन्य

..... प्रत्यर्थागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

अपीलार्थी के लिए : श्री ए0 के0 चौधरी, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए :

आदेश सं0 04: दिनांक 11 सितंबर, 2019

संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0 के अनुसार

1. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता त्रुटियों (डिफेक्ट्स) को दूर करने के लिए तीन सप्ताह के समय हेतु प्रार्थना करते हैं।
2. समय, जैसा कि प्रार्थना की जाती है, की अनुमति है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है, तो यह सेकेण्ड अपील बिना बेंच को संदर्भित किए खारिज की दी जाएगी।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)